संख्या-1066/33-3-2021-38/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3.समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक02 जुलाई, 2021

विषयः-ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से एल.ई.डी. लाईट लगाए जाने विषयक।

महोदय,

उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम, 1947 एवं क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में समुचित प्रकाश व्यवस्था किया जाना पंचायतों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर आबादी एवं सम्पर्क मार्गों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था से नागरिकों को आवागमन में सुगमता के साथ-साथ सुरक्षा भी बढ़ेगी। एल.ई.डी. लाईट से ऊर्जा की खपत भी कम होगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग दोनों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कार्यों की अनुमन्य श्रेणी में है।

2. पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य करने से प्रतिबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रतिबन्ध मुख्यतः डुप्लीकेसी को रोकने के लिए किया गया है। ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जा रही ग्राण्ट में से पंचायत घरों के निर्माण में एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में काफी बड़े अनुपात में धनराशि खर्च हो रही है, जिससे ग्राम पंचायतों के पास अन्य कार्यों पर व्यय करने के लिए धनराशि की कमी भी हो रही है।

3. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्र पंचायतें एवं जिला पंचायतें ग्राम पंचायतों के साथ-साथ ग्राम पंचायत क्षेत्र में एल.ई.डी. लाईट लगाने का कार्य कर सकती हैं। उपरोक्त तीनों स्तर की पंचायतों द्वारा लगाई जाने वाली एल.ई.डी. लाईट की जियो-टैगिंग की जाएगी ताकि डुप्लीकेसी को रोका जा सके। लगायी गयी एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट में विद्युत

Scanned with CamScanner

बिल का भुगतान तथा इनका मेन्टीनेन्स (गारण्टी अवधि के पश्चात्) सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।

4. एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट सामान्य तौर पर निम्न वाटेज की होगी :–

क्रम सं.	दो पोल के बीच की दूरी	एल.ई.डी. की वाटेज
1	30 मीटर से कम	18W
2	30 मीटर	24W
3	50 मीटर	35W
4	75 मीटर	45W

लगायी जाने वाली एल.ई.डी. लाईट का स्पेसिफिकेशन निम्नवत् होगा :–

LUMINAIRE DATA SHEET

Sl. No.	Parameters	Requirements / Value
1.	Type	LED Luminaries complete with all accessories including driver, internal wiring with LSHF wires, etc., for Street Lighting
2.	Rated Voltage	230V
3.	Operating Voltage Range	140–270-volt AC but luminaries shall be tested for 100V to 300 V AC
4.	Driver Efficiency	≥ 85%
5.	Operating Temperature Range	Any Value
6.	LED Efficacy	≥130 Lm/Watt
7.	Colour Temperature	≥6000K.
8.	LED Wattage	25W, 30W, 36W
9.	Control Gear	One or more
10.	IP Protection	IP65 or more;
11.	Approved Make Companies	Bajaj, Syska, Crompton, Orient, Wipro, Philips, Havells

Scanned with CamScanner

5. एल.ई.डी. लाईट को खम्भों पर फिक्स किए जाने हेतु 32mm dia के लगभग 2 मीटर G.I. Pipe के माध्यम से इसे वर्तमान पोल पर स्थापित करना होगा, जो डी0एस0आर0 के आईटम नं0–12.34 के अनुसार निम्नवत है :– "Supplying and fixing of 32 dia X 2.00 metres long G.I. pipe (medium class) bracket of LED street light fitting on pole including bending the pipe to the required shape, 2 nos 40 mm X 3 mm flat iron clamps with nuts, bolts and washer, painting the flat iron with primer and finish paint etc. as required." इस कार्य का दर स्थानीय परिस्थितियो के अनुसार होगी।

6. जिला पंचायतें व क्षेत्र पंचायतें एल.ई.डी. लाईटों का क्रय अनिवार्यतः जैम पोर्टल से करेंगी। चूँकि वर्तमान में ग्राम पंचायतों में दो ही पदाधिकारी होते हैं (ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान) जिनके हस्ताक्षर से एकाउण्ट आपरेट होता है और जैम पर क्रय हेतु तीन पदाधिकारियों प्राईमरी यूजर (Primary User), वेरीफाईंग आफीसर (Verifying Officer) एवं कन्साईनी आफिसर (Consignee Officer) का होना आवश्यक होता है। अतः ग्राम पंचायतों पर जैम पोर्टल से अनिवार्य क्रय का प्रतिबन्ध नहीं किया जा रहा है।

7. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक रजिस्टर्ड कम्पनी है तथा ई.ई.एस.एल. एल.ई.डी. लाईट की स्थापना में दक्षता भी रखती है। अतः पंचायतें ई.ई.एस.एल. से लाईट के क्रय अथवा क्रय एवं स्थापना के लिए आपूर्ति आदेश दे सकते हैं। ई.ई.एस.एल. का सम्पर्क का पता निम्नवत है :–

Energy Efficiency Services Limited, 5th floor, Levana Cyber Heights, Vibhuti Khand, Gomati Nagar Lucknow- 226010, Tel./Fax :- 0522-2984661, Contact Person:- Alok Kumar Mishra, DGM(T), Email Id:- akmishra@eesl.co.in, Mob:- 09990242740

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए ग्राम पंचायतों में एल.ई.डी. लाईट लगाने की कार्यवाही तीनों स्तर की पंचायतों द्वारा की जाएगी।

भवदीय,

Manoj 2.7.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः–तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मंडलीय उपनिदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी–पंचायत, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त ग्राम पंचायत पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner

संख्या– 2176/33–3–2021–38/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: 12 नवम्बर, 2021

विषय:–ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से एल.ई.डी. लाईट लगाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन पत्र संख्या–1066/33–3–2021–38/2021, दिनांक–02.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों में एल.ई.डी. लाईट लगाए जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं। शासनादेश में एल.ई.डी. लाईट स्पेसीफिकेशन भी दिया गया है जिसमें बजाज, सिस्का, क्राम्पटन, ओरियण्ट, विप्रो, फिलिप्स एवं हैवेल्स को अनुमोदित किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पैनासोनिक, सूर्या, हैलोनिक्स एवं एवरेडी मेक लाइटों को भी इस हेतु अनुमन्य किया जाता है। शासनादेश की शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

1830
DD (श्री सिंह) (21 mc)

1905-6

भवदीय,

Manoj 12.11.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

DD(P) 17/11/21

नि0 16/11/21

संख्या व दिनांक:– तदैव।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मंडलीय उपनिदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी–पंचायत, उ0प्र0।
5. समस्त ग्राम पंचायत पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Manoj

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

श्री उ0 रवी

17/11/21
प्रशासनिक अधिकारी
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

17/11/21 –डा0

Scanned with CamScanner